

23

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

द्वैपदी देवी
 9/11/11
 16/11/11
 (स्थायी रूप से रक्षणीय)
 Co 3/11/11

14 फारम सं० 5651
 बोर्ड फारम सं० 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116वी ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अभिलेख हस्तक 1911)

.....विभाग

(8)

(पहला पन्ना)

केस नं० SR case no 98 वर्ष 04-05 रजिस्टर सं०

इस्टेंट परगना तौजी सं०

अर्जीकार -

प्रतिपक्षी

अधिनियम सं० वर्ष के अधीन

निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

आदेश की क्र० और तारीख

आदेश की क्र० और तारीख

आदेश पर की गई कार्रवाई

ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष लगातर अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद की कार्रवाई में कोई अभिरुची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभय पक्ष के अभिरुची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संसोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।